



राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

कमांक: प. 9(14)राज -1 / 2016

जयपुर, दिनांक : 12/07/2016

—: अधिसूचना :—

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 16, के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलेक्टर व राजस्व मण्डल से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशाषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि जिला हनुमानगढ़, तहसील नोहर के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई नीचे दी गई सरणी के कौलम संख्या-6 में अंकित मजरे/ढाणियों को एतदपश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में भी-11 जोकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-8 के अनुसार होगा :-

क. सं.	जिला / तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या / क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम का नाम	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम की जनसंख्या / क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	दूरी कि. मी.	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहित क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	हनुमानगढ़ / नोहर	1आरपीएम (रतनपुरा)	4183 588.967	शिवपुरा (1आरपीएम)	550 225.651	3.0	363.316
2	—	भगवानसर	2597 3547391	बास नाथोवाला	861 848.688	1.0	2698.703
3	—	ढाणी रायकान	1278 3007.429	चक मन्दराना	257 322.238	5.0	2685.191

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्रामों/नवीन राजस्व ग्रामों की पृथक-पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे/अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

22/7/16

1-2 (CEN)

(दुर्गा जोशी)  
संयुक्त शासन सचिव

28/7/16

8a

1-2 (CEN)